

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/हिनि/28129/यात्रा/2019-20  
निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर,

दिनांक:-14-11-2019

समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,  
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक)  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)  
समस्त डाईट प्राचार्य  
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषय:- हितकारी निधि से मंत्रालयिक एवं च0श्रे0कर्म0  
वर्ग को भारत भ्रमण सुविधा।

हितकारी निधि समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन उपरान्त शिक्षा विभाग (माध्यमिक/प्रारंभिक) में कार्यरत मंत्रालयिक/च0श्रे0कर्म0 एवं अन्य कार्मिकों को पति-पत्नी सहित (अध्यापक वर्ग को छोड़कर, उन्हे यह सुविधा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से पूर्व से ही दी जा रही है।) जो राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो उन्हे भारत भ्रमण हेतु हितकारी निधि से अधिकतम 12,000/- रुपये प्रदान करने की योजना का सत्र 2019-20 से शुभारम्भ निम्न नियम/शर्तानुसार किया जाता है:-

- 01 योजनावर्तगत लाभ उन्ही कार्मिकों को प्राप्त हो सकेगा, जो हितकारी निधि के वर्ष 2018-19 से नियमित अंशदाता है।
- 02 सत्र 2019-20 से पूर्व जिन्हे सम्मानित किया गया हो, वे पात्र नहीं होंगे।
- 03 वित्तीय वर्ष 2018-19 में या अन्य स्थितिनुसार अंशदान कटौती शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावें।
- 04 भ्रमण सुविधा अधिकतम 14 दिवस के लिये होगी। (पति-पत्नी सहित।)
- 05 कार्मिक को उक्त अवधि का स्वयं का देय अवकाश स्वीकृत करवाना होगा।(स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करें।)
- 06 यह लाभ सेवाकाल में एक बार ही देय होगा।
- 07 यात्रा के लिये 500/- रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता, द्वितीय श्रेणी शयन यान का किराया, यदि उच्च श्रेणी की है, तो भुगतान द्वितीय श्रेणी किराये तक ही सीमित होगा।
- 08 यात्रा व्यय विपत्र एवं यात्रा टिकट/साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे तथा यात्रा सीधे एवं कम दूरी के आधार पर हो। (टिकट खर्च)
- 09 यात्रा के लिये हितकारी निधि से पूर्व स्वीकृति वांछनीय नहीं है।
- 10 जिला शिक्षा अधिकारी/CBEO एवं अन्य स्थिति अनुसार यात्रा पूर्ण करने के पश्चात् निर्धारित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 11 राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- 12 बैंक पास बुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति या केन्सल चैक संलग्न करें।

क. 21. 19

उप निदेशक (प्रशासन)  
एवं सचिव हितकारी निधि,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

(2)

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षक संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर।
7. संपादक शिविरा पत्रिका।
8. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण/शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत।

क) 21/12/19

उप निदेशक (प्रशासन)  
एवं सचिव हितकारी निधि,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी-निधि से शिक्षा विभागीय, मंत्रालयिक/च0श्रे0कर्म0 को राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत होने पर भारत भ्रमण सुविधा हेतु आवेदन पत्र।

- 1 कर्मचारी का नाम .....
- 2 कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान .....
- 3 कर्मचारी का स्थाई पता .....
- 4 टेलिफोन नम्बर/ मोबाईल नम्बर .....
- कर्मचारी की Employe ID संख्या
- 5 कार्मिक का बैंक खाता विवरण  
पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (प्रमाणित) या  
निरस्त चेक .....
- 6 हितकारी निधि अंशदान वित्तीय वर्ष 2018-19 से  
ई0सी0एस0 एवं शिड्यूल की प्रति संलग्न करें। .....
- 7 राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सम्मानित होने का वर्ष  
(प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें) .....
- 8 यात्रा प्रवास में बिताये गये दिनों की संख्या .....
- 9 यात्री किराये का विवरण।  
(टिकट/साक्ष्य संलग्न करें) .....
- 10 कुल यात्रा व्यय।(कॉलम 8 व 9 का योग) .....
- 11 यात्रा उच्च श्रेणी में की गई है तो द्वितीय श्रेणी का  
किराया अंकित करें .....
- 12 अवकाश स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करें। .....

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर मय पद  
एवं कार्यरत स्थान

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/सी0बी0ई0ओ0) एवं संस्था प्रधान से अग्रेसित करवाया जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पद एवं पदस्थापना स्थान .....  
..... जो मेरे अधिन कार्यरत है, इन्हे राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर वर्ष ..... में  
सम्मानित किया गया है। कार्मिक द्वारा स्वयं का अवकाश स्वीकृति उपरान्त यात्रा की गई है, अतः इनका  
प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को अनुशंषा सहित अग्रेसित किया जाता  
है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/सी0बी0ई0ओ0  
(मुख्यालय)

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान(मोहर)